जवाहरलाल नेहरू कृषि विश्वविद्यालय, जबलपुर (म.प्र.)

क्रमांक विधि/एच/मिस पार्ट–2/790 दिनांक 15 /10/2024

प्रति,

1. अधिष्ठाता, संकाय कृषि/कृषि अभियांत्रिकी/उद्यानिकी, ज.ने.कृ.वि.वि., जबलपुर।
2. समस्त, संचालक, ज.ने.कृ.वि.वि., जबलपुर।
3. समस्त, अधिष्ठाता, ज.ने.कृ.वि.वि., जबलपुर।
4. अधिष्ठाता, छात्र कल्याण, ज.ने.कृ.वि.वि., जबलपुर।
5. लेखानियंत्रक, ज.ने.कृ.वि.वि., जबलपुर।
6. प्रभारी, जैव प्रोद्यौगिकी केन्द्र (कृषि), ज.ने.कृ.वि.वि., जबलपुर।
7. प्रभारी, उपकरण विनियोग केन्द्र, ज.ने.कृ.वि.वि., जबलपुर।
8. समस्त, विभागाध्यक्ष, कृषि महाविद्यालय, जबलपुर।
9. समस्त सह–संचालक, आंचलिक कृषि अनुसंधान केन्द्र, ज.ने.कृ.वि.वि, जबलपुर।
10. समस्त, प्रमुख वैज्ञानिक, क्षेत्रिय कृषि अनुसंधान केन्द्र, ज.ने.कृ.वि.वि., जबलपुर।
11. समस्त वरिष्ठ वैज्ञानिक एवं प्रमुख, कृषि विज्ञान केन्द्र, ज.ने.कृ.वि.वि., जबलपुर।
12. कार्यपालन यंत्री/सूचना एवं जनसंपर्क अधिकारी/सहायक ग्रंथपाल/प्रभारी फार्म/प्रभारी ऐटिक/प्रभारी संचार केन्द्र, ज.ने.कृ.वि.वि., जबलपुर।
13. सहायक कुलसचिव सामान्य/स्थापना/विधि/शैक्षणिक, ज.ने.कृ.वि.वि., जबलपुर।
14. समस्त अनुभाग अधिकारी, ज.ने.कृ.वि.वि., जबलपुर।

विषय :– न्यायालीयन प्रकरणों में शासन का पक्ष समर्थन प्रभावशाली तरीके से प्रस्तुत करने बावत्।

उपरोक्त विषयांतर्गत लेख है कि संयुक्त संचालक (लिटिगेशन), किसान कल्याण तथा कृषि विकास विभाग ने मध्यप्रदेश शासन, सामान्य प्रशासन विभाग, मंत्रालय, वल्लभ भवन भोपाल का परिपत्र क्रमांक/1189/GAD/34/0004/2024–GAD–8–01(GAD) भोपाल दिनांक 1/7/2024 संलग्न कर प्रेषित किया है जिसमें सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा अनुरोध किया गया है कि सभी विभाग/कार्यालय न्यायालीयन प्रकरणों में उक्त परिपत्र अनुसार आपसी समन्वय स्थापित कर कार्य करें एवं अन्य विभागों, कार्यालयों द्वारा वांचित टीप/अभिलेख/जानकारी/अभिमत उन्हें अतिशीघ्र उपलब्ध करायें ताकि न्यायायलीन प्रकरणों में राज्य शासन का पक्ष समर्थन प्रभावशाली तरीके से किया जा सके। ***(संलग्न)***

अतः उपरोक्त परिपत्र संलग्न कर अनुरोध है कि उपरोक्तानुसार कार्यवाही किया जाना सुनिश्चित करें।

कुलसचिव

पृ. क्रमांक विधि/एच/मिस पार्ट–2/ दिनांक /10/2024

प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु–

1. *माननीय कुलपतिजी के निजसचिव, जेनेकृविवि, जबलपुर।*

कुलसचिव

न्यायालयीन प्रकर
अति आवश्य

संचालनालय
किसान कल्याण तथा कृषि विकास,
मध्यप्रदेश, भोपाल.

क्र0 / ए–2–11 / लिटि. / सी.एम.–सी.एस. / 13 / 2018–21 / 888 भोपाल, दिनांक 23/09/ 202

प्रति,

1– संयुक्त संचालक (समस्त)
किसान कल्याण तथा कृषि विकास,
..........................संभाग.................................(म0प्र0)

2– उप संचालक (समस्त)
किसान कल्याण तथा कृषि विकास,
जिला–.................................(म0प्र0)

3– प्राचार्य, (समस्त),
प्राचार्य कृषि विस्तार एवं प्रशिक्षण केन्द्र
जिला...............(म.प्र.)

4– उप संचालक (आत्मा) समस्त
किसान कल्याण तथा कृषि विकास,
जिला–.................................(म0प्र0)

5– कुलसचिव
कृषि विश्वविद्यालय,
जबलपुर / ग्वालियर, (म.प्र.)

LEGAL CELL
R. No. 778
Date. 26/9/2024
J.N.K.V.V., JABALPUR

आवक क्र.पी.एस.आर./GR/388
दिनांक 26/9/24

विषयः न्यायालयीन प्रकरणों में शासन का पक्ष समर्थन प्रभावशाली तरीके से करने हेतु संबंधि विभागों के बीच समन्वय स्थापित करने के संबंध में।

संदर्भः मध्यप्रदेश शासन, सामान्य प्रशासन विभाग मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल का परिप कमांक / 1189 / GAD/34/0004/2024-GAD-8-01(GAD) भोपाल दिनांक 01.07.2024।

00000

विषयांतर्गत् सामान्य प्रशासन विभाग मंत्रालय का संदर्भित परपत्र आपको ई–मेल द्वा प्रेषित किया गया है। त्वरित संदर्भ हेतु छायाप्रति संलग्न है।

संलग्नः संदर्भित पत्र की छायाप्रति।

संयुक्त संचालक (लिटिगेशन)
किसान कल्याण तथा कृषि विकास,
म0प्र0 भोपाल

AR(LC)

Regd

नस्ती में प्रस्तुत करें
SO(L)
27/9/24

AR
Shri. Pradeep

मध्यप्रदेश शासन
सामान्य प्रशासन विभाग
मंत्रालय
वल्लभ भवन, भोपाल–462004

1189
क्रमांक GAD/34/0004/2024-GAD-8-01(GAD) भोपाल,दिनांक 01/07/2024

प्रति,

शासन के समस्त विभाग,
अध्यक्ष राजस्व मण्डल, म.प्र. ग्वालियर,
समस्त विभागाध्यक्ष,
समस्त संभागायुक्त,
समस्त जिलाध्यक्ष,
समस्त मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत,
मध्यप्रदेश।

विषयः– न्यायालयीन प्रकरणों में शासन का पक्ष समर्थन प्रभावशाली तरीके से करने हेतु संबंधित विभागों के बीच समन्वय स्थापित करने के संबंध में।

राज्य शासन के विरूद्ध दायर किए जाने वाले कई न्यायालयीन प्रकरणों में शासन के विभिन्न विभागों/कार्यालयों के अधिकारियों को प्रतिवादी बनाया जाता है। इन प्रकरणों में याचिकाकर्ता द्वारा माननीय न्यायालय से चाहा गया अनुतोष (Relief) एवं याचिका की मुख्य विषय वस्तु प्रायः किसी एक विभाग अथवा कार्यालय से संबंधित होती है परन्तु अन्य विभाग/कार्यालय भी पक्षकार होते हैं। नीति, नियम एवं वित्तीय विषयों पर दायर अधिकांश याचिकाओं में संबंधित प्रशासकीय विभाग/कार्यालय के साथ ही सामान्य प्रशासन विभाग तथा वित्त विभाग को भी पक्षकार बनाया जाता है।

2/ उक्त स्थिति में न्यायालय के समक्ष शासन का पक्ष समर्थन प्रभावशाली तरीके से प्रस्तुत करने के लिए कृपया निम्नानुसार कार्यवाही की जाएः–

(क) याचिका का मुख्य विषय जिस विभाग/कार्यालय से संबंधित है एवं जिसके विरूद्ध अनुतोष चाहा गया है उस विभाग/कार्यालय द्वारा प्रथमतः प्रभारी अधिकारी नियुक्त किया जाए एवं पक्ष समर्थन हेतु आवश्यक टीप/विभागीय अभिलेखों की प्रतियॉ प्रभारी अधिकारी को उपलब्ध कराई जाए।

(ख) याचिका में यदि अन्य प्रतिवादी विभागों/कार्यालयों से संबंधित कोई बिन्दु हो जिनकी जानकारी जवाबदावे में शामिल करना आवश्यक हो तब मुख्य विभाग द्वारा अन्य प्रतिवादी विभागों/कार्यालयों से संबंधित बिन्दुओं पर जानकारी प्राप्त कर जवाबदावे में शामिल करवाई जाए।

(ग) जवाबदावा प्रस्तुत करने हेतु सामान्य प्रशासन विभाग अथवा वित्त विभाग द्वारा जारी किसी नीति, नियम, निर्देश के संबंध में मार्गदर्शन की आवश्यकता होने पर मुख्य विभाग द्वारा आवश्यकतानुसार वित्त विभाग, सामान्य प्रशासन विभाग से शीघ्रतापूर्वक मार्गदर्शन/अभिमत प्राप्त कर लिया जाए। विधिक बिन्दु पर मार्गदर्शन की आवश्यकता होने पर विधि एवं विधायी कार्य विभाग से मार्गदर्शन/अभिमत ले कर तत्परतापूर्व जवाब प्रस्तुत किया जाए।

DD(Lit.)
समस्त JD, DD, प्राचार्य PD को एवं डोमो/हाई. भेजें।
2/7/24

निरन्तर..........2

3/ अतः अनुरोध है कि सभी विभाग/कार्यालय, न्यायालयीन प्रकरणों में उपरोक्तानुसार आपसी समन्वय स्थापित कर कार्य करें एवं अन्य विभागों/कार्यालयों द्वारा वांछित नोट/अभिलेख/जानकारी/अभिमत, इन्हें अतिशीघ्र उपलब्ध कराएं ताकि न्यायालयीन प्रकरणों में राज्य शासन का पक्ष समर्थन प्रभावशाली तरीके से किया जा सके।

4/ कृपया इन निर्देशों से आपके सभी अधीनस्थ अधिकारियों को अवगत कराते हुए पालन सुनिश्चित किया जावे।

संचालनालय
किसान कल्याण तथा कृषि विकास म. प्र. भोपाल
शाखा आवक क्र. 504 दि. 23/7/24
संचालक

(मनीष रस्तोगी)
प्रमुख सचिव
मध्यप्रदेश शासन
सामान्य प्रशासन विभाग

1190
पृ. क्रमांक GAD/34/0004/2024-GAD-8-01(GAD) भोपाल, दिनांक 01/7/2024

प्रतिलिपिः–

1. राज्यपाल के सचिव, राजभवन, भोपाल।
2. रजिस्ट्रार जनरल, उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, जबलपुर।
3. रजिस्ट्रार, म.प्र. उच्च न्यायालय खण्डपीठ ग्वालियर/इन्दौर।
4. महानिदेशक, प्रशासन अकादमी, भोपाल।
5. अध्यक्ष कर्मचारी चयन मण्डल, भोपाल।
6. अध्यक्ष माध्यमिक शिक्षा मण्डल, भोपाल।
7. प्रमुख सचिव मुख्यमंत्री कार्यालय, भोपाल।
8. प्रमुख सचिव मध्यप्रदेश विधान सभा सचिवालय भोपाल।
9. मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी मध्यप्रदेश भोपाल।
10. सचिव लोकायुक्त मध्यप्रदेश, भोपाल।
11. सचिव, मध्यप्रदेश लोक सेवा आयोग इन्दौर।
12. सचिव, मध्यप्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग, भोपाल।
13. सचिव, मध्यप्रदेश मानव अधिकार आयोग, भोपाल।
14. सचिव, मध्यप्रदेश राज्य सूचना आयोग, भोपाल।
15. महालेखाकार मध्यप्रदेश ग्वालियर/भोपाल।
16. आयुक्त जन संपर्क संचालनालय, मध्यप्रदेश भोपाल।
17. उप सचिव, मुख्य सचिव कार्यालय, मंत्रालय, भोपाल।
18. महाधिवक्ता, मध्यप्रदेश जबलपुर एवं अतिरिक्त महाधिवक्ता, मध्यप्रदेश ग्वालियर/ इन्दौर।
19. अपर सचिव/उप सचिव/अवर सचिव, मध्यप्रदेश शासन, सामान्य प्रशासन विभाग (समस्त कक्ष) मंत्रालय, भोपाल।
20. संयुक्त आयुक्त लिटिगेशन एवं समन्वय जबलपुर/ग्वालियर/इन्दौर।

प्रमुख सचिव
मध्यप्रदेश शासन
सामान्य प्रशासन विभाग